भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *243
जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों का कैशलेस उपचार

*243 श्री राजकुमार चाहर:
श्री नवीन जिंदल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अधिदेश के अनुसार सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के कैशलैस उपचार के लिए कोई योजना कार्यान्वित की है/बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे देशभर में कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;
(ग) चंडीगढ़ और असम में कैशलैस उपचार योजनाओं से सरकार को क्या अनुभव मिले हैं और इनके मुख्य निष्कर्ष क्या रहे हैं:
(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गंभीर रूप से घायल होने वाले पीड़ितों के लिए कैशलैस उपचार के लिए 1.5 लाख रुपये की सीमा और एक सप्ताह की सीमा अपर्याप्त हो सकती है; और
(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना इन सीमाओं को अंतिम योजना में संशोधित करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

"सड़क दुर्घटना के पीड़ितों का कैशलेस उपचार" के संबंध में श्री राजकुमार चाहर और श्री नवीन जिंदल द्वारा पूछे गए दिनांक 12.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *243 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अनिवार्यता के अनुरूप, सरकार मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलैस उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत आघात (ट्रामा) और बहुआघात (पॉलीट्रामा) के लिए स्वास्थ्य लाभ पैकेज के अनुसार, पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार का अधिकार है।
- किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पुलिस, अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) आदि के साथ समन्वय करके, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) एप्लिकेशन और एनएचए के लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) की कार्यात्मकता को मिलाकर एक आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस योजना को लागू करेगा।

(ग) सरकार का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर संघ राज्य क्षेत्रों चंडीगढ़ और पुडुचेरी तथा असम, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलैस उपचार प्रदान करने के लिए पायलट कार्यक्रम लागू किया है। पायलट कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से जमीनी स्तर पर सत्यापन और मूल्यांकन के माध्यम से योजना को सुदृढ़ करना है, साथ ही योजना को पूरे भारत में शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संचालन तत्परता सुनिश्चित करना है। पायलट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं:

- पीड़ित को निकटतम सूचीबद्ध अस्पताल में शीघ्र स्थानांतरित करने के लिए, एम्बुलेंस इकोसिस्टम को मजबूत करना और 112 संबंधित हेल्पलाइनों जैसे 108, 102, 1033 या किसी भी केंद्रीय/राज्य-विशिष्ट हेल्पलाइन के साथ अधिकतम अभिसरण करना समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से उस स्वर्णिम समय (गोल्डन ऑवर) के दौरान जब मृत्यु को रोकने की संभावना अधिक होती है ।
- फील्ड अधिकारियों के लिए व्यापक और कठोर प्रशिक्षण सत्र आवश्यक हैं। इसमें योजना की विशेषताओं से परिचित होना और प्रासंगिक पोर्टलों पर डेटा प्रविष्टि प्रक्रियाओं में दक्षता हासिल करना शामिल है।
- योजना के अंतर्गत पहुंच और कवरेज का विस्तार करने के लिए अधिक अस्पतालों को विशेष रूप से दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों के निकट स्थित अस्पतालों को पैनल में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।
- पुलिस प्रतिक्रिया समय का अनुकूलन तथा विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

(घ) और (ड.) इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को उपचार प्रदान करना है, जिसमें वह स्वर्णिम समय भी शामिल है जब जान बचने की संभावना अधिक होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आघात और बहुआघात देखभाल के लिए लाभ पैकेजों के उपयोग के आंकड़े, जिसमें पायलट कार्यान्वयन के दौरान देखा गया डेटा भी शामिल है, यह दर्शाता है कि सड़क दुर्घटना के अधिकांश पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये से अधिक के उपचार या सात दिनों से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है।

योजना की निर्धारित सीमा से अधिक उपचार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है।

*****